संख्या– /377/ 33–3–2014–03रा0नि0आ0 / 2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 17 जुलाई, 2014

विषयः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) का परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतों के प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डो) के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन आफ इण्डिया द्वारा लोकसभा/विधान सभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन के निर्धारित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए पंचायतों के वर्ष 2015 में सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और प्रकाशन की कार्यवाही निम्नलिखित निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न करायी जायेः–

1. त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण उ0प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 व उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के साथ–साथ उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली 1994 व उ0प्र0 क्षेत्र पचांयत और जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली 1994 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. विगत वर्षो में जिला पंचायत के क्षेत्र में किसी नई कालोनी विकसित होने या नये निर्माण होने का दशा में उनके निवासियों को उसी पंचायत में सम्मिलित किया जायेगा जिसके क्षेत्र की भूमि पर आवासों का निर्माण हुआ हो तथा उन्हें परिसीमन के समय उस पंचायत के निकटतम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।
3. एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में रखा जायेगा।
4. ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन नियमावली के नियम–3 में व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या की उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जायेगा और यदि शेषफल भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक की वृद्धि की जायेगी तथा शेषफल, भाजक के आधे से कम होने की दशा में उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार आंकलित जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रादेशित क्षेत्रों का परिसीमन उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के उत्तर पूर्व से वामावर्त प्रारम्भ करके किया जायेगा। इस प्रकार परिसीमित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को उत्तर पूर्व से वामावर्त प्रारम्भ करते

हुए क्रम से संख्याकित किया जायेगा। ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाने में यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र हो तथा किसी निवास इकाई (Dwelling Unit) को विभाजित नहीं किया जायेगा। प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची संलग्न रूपपत्र–1 पर तैयार की जायेगी।

5. क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के संबंध में क्षेत्र पंचायत की कुल जनसंख्या को 2000 की संख्या से विभाजित किया जायेगा और यदि शेषफल भाजक के आधे से कम नहीं है तो भजन फल में एक की वृद्धि की जायेगी और शेषफल भाजक के आधे से कम होने की दशा में उसे छोड़ दिया जायेगा । इस प्रकार के विभाजन से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्ञात हो जायेगी। ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसी क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के उत्तर पूर्व से प्रारम्भ करके वामावर्त किया जायेगा। इस प्रकार परिसीमन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को उत्तर पूर्व से वामावर्त प्रारम्भ करते हुए क्रम से संख्याकित किया जायेगा और जहां तक व्यवहार्य हो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2000 होगी। इस प्रकार परिसीमन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होगा और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा। प्रभावित क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रस्तावित सूची संलग्न प्रारूप–2 पर तैयार की जायेगी।

6. जिला पंचायत के लिये गठित की जाने वाली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या 50000 होगी और जिला पंचायत की कुल जनसंख्या की 50000 से विभाजित किया जायेगा यदि शेषफल भाजक के आधे से कम नहीं है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और यदि शेषफल भाजक के आधे से कम है तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या होगी। इन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जिला पंचायत क्षेत्र के उत्तर पूर्व से प्रारम्भ करके इस प्रकार किया जायेगा जहां तक व्यवहार्य हो जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50000 हो। परिसीमन करते समय यह सावधानी बरती जायेगी कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा और जिला पंचायत के एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत के लिए परिसीमित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को पूर्णरूपेण सम्मिलित किया जायेगा। ऐसे बनाये जाने वाले जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होना आवश्यक होगा। ऐसे जिला पंचायत के लिए परिसीमित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को उत्तर पूर्व से प्रारम्भ करते हुए क्रम से संख्याकित किया जायेगा। प्रभावित जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रस्तावित सूची संलग्न रूपपत्र–3 पर तैयार की जायेगी।

7. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए बनाये जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के प्रकाशन की व्यवस्था भी उक्त नियमावली के नियम–6 में दी गयी है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने के उपरान्त इनकी सूची बनायी जायेगी और उसमें निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा और उसे ग्राम

पंचायत की दशा में ग्राम पंचायत के सूचनापट पर एवं संबंधित क्षेत्र पंचायत की सूचनापट, जिसके क्षेत्रान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायत हैं, पर प्रकाशित किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत की दशा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची/ विवरण संबधित क्षेत्र पंचायत के सूचनापट, ऐसे जिला पंचायत के सूचनापट पर जिसके क्षेत्रान्तर्गत ऐसी क्षेत्र पंचायत आती है, पर संक्षिप्त विवरण सहित प्रकाशित किया जायेगा तथा जिला पंचायत की दशा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची जिला पंचायत के सूचनापट पर प्रकाशित की जायेगी।

8. यह भी ध्यान रखा जायेगा कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाये। इसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर किया जायेगा। उसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा।

9. प्रत्येक पंचायत के परिसीमन के उपरान्त मैप(नक्शा) तैयार किया जाय, जिसमें विभिन्न वार्डो को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

10. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिले के अन्तर्गत आने वाले कैन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अधिनियम, 1976 की धारा–12 क के अनुसार अधिसूचित औद्यौगिक नगर तथा नागर निकायों के क्षेत्र को छोड़कर जनपद का सभी शेष क्षेत्र, परिसीमन करते समय पंचायत क्षेत्र में अवश्य सम्मिलित कर लिया जाय, जिससे कि कोई भी क्षेत्र तथा उसका कोई भी निवासी परिसीमन के दायरे से छुटने न पाये।

11. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के निर्धारण के संबंध में आपत्तियॉ प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निम्नलिखित समय–सारिणी निर्धारित की जाती है:–

(1)	ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना	दिनांक 17 जुलाई 2014 से 31 जुलाई, 2014 तक
(2)	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन	दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 15 अगस्त, 2014 तक
(3)	प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना	दिनांक 16 अगस्त,2014 से 22 अगस्त, 2014 तक
(4)	क्रमांक–3 पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	दिनाक 23 अगस्त, 2014 से 30 अगस्त, 2014 तक
(5)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 15 सितम्बर, 2014 तक

2– कृपया उपर्युक्त के संबंध में विभिन्न संचार माध्यमों यथा समाचार–पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें और

प्रभावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची रूपपत्र–1, 2 तथा 3 पर दिनांक 20 सितम्बर, 2014 तक पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। पंचायतों के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन कराने अपरिहार्य है। अतः समय सारिणी का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत),उत्तर प्रदेश।
5. सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उ0प्र0 को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव।

रूपपत्र–।

ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला..... तहसील..... ....विकास खण्ड.....

क0	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के विवरण	
			ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुल			म0नं0..... /स्थान से....	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल	
			परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या		म0नं0... /स्थान तक	परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ह0/–

जिलाधिकारी,

जनपद–

रूपपत्र–2

क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला..... तहसील..... . क्षेत्र पचांयत .....

क0 सं0	क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्र पंचायत, की जनसंख्या के विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के विवरण	
		क्षेत्र पंचायत के कुल			ग्राम पं0..... के वार्ड संख्या..... से	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल	
		परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या		ग्रा0पं0.....के वार्ड संख्या.....तक	परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

ह0/–

जिलाधिकारी,

जनपद–

रूपपत्र–3

जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला पंचायत.....

क्र0 सं0	जिला पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला पंचायत,क्षेत्र की जनसंख्या के विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के विवरण	
		जिला पंचायत क्षेत्र के कुल		क्र0सं0	नाम	क्षे0 पं0..... के क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या. ..... से	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल	
		परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या			क्षेत्र पं0.....क्षे0पं0वार्ड सं0..... .. तक	परिवारों की सूख्या	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5		6	7	8

ह0/–

जिलाधिकारी,

जनपद–